2006 : CGHC : 5907

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 2358/2002

याचिकाकर्ता : विजय सिंह, पिता राम सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी- शितलापारा रामगढ़, गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ. ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस मुख्यालय, डी. के. एस. भवन के पास, रायपुर (छ. ग.)

3) पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर, जिला, रायपुर (छ. ग.)।

4) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

2006 : CGHC : 5907

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 2358/2002

याचिकाकर्ता : विजय सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 18 जुलाई, 2006 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006 : CGHC : 5907

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका सं. 2358/2002

याचिकाकर्ता : विजय सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता।
: उत्तरवादीगण के लिए श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 18 जुलाई, 2006 को पारित किया गया)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान रिट याचिका में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/11/1998 (अनुलग्नक – ए / 6) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के साथ एक श्री नरेश राव को सेवा से हटा दिया गया था। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 24/04/2002 (अनुलग्नक–A/10) के आदेश पर भी आक्षेप किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेपित दया याचिका को निरस्त कर दिया था।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 28/06/1991 (अनुलग्नक–A/1) द्वारा पद से हटाया गया था, उस समय याचिकाकर्ता आरक्षक के

रूप में कार्यरत था और भिलाई में पदस्थ था। याचिकाकर्ता के पदच्युति को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 08/05/1992 (अनुलग्नक–A/2) द्वारा अपास्त किया गया था और उसे सेवा में बहाल कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को एक नरेश राव के साथ, उनके विरुद्ध भिलाई नगर पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आधार पर दिनांक 04/12/1997 (अनुलग्नक–A/3) को निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के साथ नरेश राव को एक अभियोग पत्र दिया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो आरोप विरचित किये गए, जो इस प्रकार हैः

> "(1) आरोपी आरक्षक नरेश राव कमांक 166 (निलं.) के विरूद्ध :–
>
> 1. बिना किसी डिवटी के अनाधिकृत रूप से थाना भिलाई नगर के क्षेत्रान्तर्गत जाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विभागीय नियमों के विरूद्ध कार्य कर नैतिक अधः पतन एवं संदिग्ध आचरण का परिचय देना।
>
> 2. दिनांक 4.12.97 की रात्रि डिवटी के दौरान शराब का सेवन कर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 23–बी में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करना।
>
> 3. पुलिस आचरण के सिद्वांत के विरूद्ध कार्य करने हेतु पूर्व में दंडित किये जाने के बावजूद भी अपने आचरण में सुधार न लाकर अपने आपको विभाग के अयोग्य सिद्व करना ।
>
> (2) आरोपी आरक्षक विजय कुमार सिंह कमांक 840 के विरुद्ध:–
>
> 1. बिना किसी डिवटी के अनाधिकृत रूप से थाना भिलाई नगर क्षेत्रान्तर्गत जाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विभागीय नियमों के विरूद्ध कार्य कर नैतिक अधःपतन एवं संदिग्ध आचरण का परिचय देना।
>
> 2. वर्ष 1991 में विभाग की छबि धूमिल करने के आरोप पर सेवा से पृथक किये जाने के बावजूद भी अपने आचरण में कोई सुधार न लाकर पुनः पुलिस विभाग के अयोग्य सिद्ध करना ।"

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. आर. पाटनकर के अनुसार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था और जांच करने में कोई अनियमितता नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग ने श्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आर.पी. शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से सहमत होकर याचिकाकर्ता और नरेश राव के विरुद्ध विरचित किये गए सभी आरोप सिद्ध पाए जाने पर उन्हें सेवा से हटा दिया। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा पारित पद से हटाए के आदेश दिनांक 26/11/1998 (अनुलग्नक–ए/6) के विरुद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 08/02/1999 (अनुलग्नक–ए/8) द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उक्त नरेश राव की अपील भी निरस्त कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इस बीच, याचिकाकर्ता और नरेश राव को को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 506–बी और 394/34 के तहत अपराधों के लिए दाण्डिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया।

(5) याचिकाकर्ता और नरेश राव ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/02/1999 (अनुलग्नक – ए / 8) से व्यथित होकर, राज्य सरकार के समक्ष दया आवेदन दायर किया और राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता और नरेश राव के प्रकरण पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया और नरेश राव के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता और नरेश राव, दोनों पर पर एक ही अपराध आरोपित किया गया था। दोनों व्यक्तियों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच के आधार पर सेवा से हटा दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता और नरेश राव द्वारा प्रस्तुत अपील को भी निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद, पुलिस

महानिदेशक ने नरेश राव के सेवा से हटाने के दण्ड को पूर्व वेतन दिए बिना एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड में उपान्तरित करते हुए, उसकी दया याचिका को स्वीकार कर लिया, और याचिकाकर्ता की दया याचिका को निरस्त कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि यह भेदभाव का एक स्पष्ट प्रकरण है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि जब दोनों व्यक्तियों पर एक ही अपराध आरोपित किया गया था तो पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए था।

(7) श्रीमती अंजू आहूजा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, ने प्रतिपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप श्री नरेश राव के आरोपों से भिन्न थे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि श्री नरेश राव को रात्रिकालीन ड्यूटी में नशे की हालत में पाया गया था और याचिकाकर्ता को वर्ष 1991 की शुरुआत में सेवा से हटा दिया गया था और उसके बाद उसके आचरण में सुधार के लिए उसे सेवा में बहाल कर दिया गया था, परंतु याचिकाकर्ता ने अपने व्यवहार और आचरण में कोई सुधार नहीं दिखाकर अपने आचरण की पुनरावृत्ति की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और रिट याचिका और जवाबदावा के साथ संलग्न अभिलेखों को पढ़ने के बाद, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप उक्त नरेश राव के आरोप से भिन्न थे। नरेश राव को नशे की हालत में पाया गया था, इस प्रकार, उसे उसके आचरण में सुधार करने का अवसर दिया गया और सेवा से हटाने की के उसके दण्ड को एक साल के लिए एक वेतन वृद्धि को रोकने में बदल दिया गया और उसे बिना पूर्व वेतन के सेवा में बहाल कर दिया गया। जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, उसे गंभीर कदाचार कारित करने के कारण वर्ष 1991 के प्रारंभ में सेवा से हटा दिया गया था और उसके आचरण में सुधार करने की चेतावनी के साथ पुलिस महानिरीक्षक

द्वारा उसे सेवा में बहाल किया गया था। याचिकाकर्ता अपने आचरण में सुधार करने में विफल रहा और उसने एक महिला की लज्जा भंग करने का बहुत गंभीर अपराध कारित किया था। यद्यपि याचिकाकर्ता को दाण्डिक विचारण में संदेह का लाभ देकर उक्त अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था, परंतु वह विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति का लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि उसे ससम्मान दोषमुक्त नहीं किया गया था, अपितु संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था।

(9) याचिकाकर्ता का प्रकरण यह नहीं है कि जांच की प्रक्रिया में कोई अनियमितता या अवैधता हुई थी। याचिकाकर्ता की संपूर्ण व्यथा यह है कि उसकी दया याचिका पर विचार करते समय राज्य अधिकारियों द्वारा उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया, यदि वह अवैध और विकृत है, में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, किन्तु वह निर्णय, जो जांच अधिकारी द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात लिया गया हो, में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता की शिकायत जांच के संचालन में विकृति या अवैधता पर आधारित है। यहाँ न तो अभिवचन किया गया है और न ही स्थापित किया गया है कि याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इस प्रकार, यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, और जांच रिपोर्ट में हस्तक्षेप किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उपर्युक्त कथित कारणों से, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur